मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 11/10/78-जी0 एस0-I-दिनांक 28-6-78 की प्रति ।

विषय :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम 16 के अन्तर्गत उधार लेने तथा देने के बारे में व्यवस्था का स्पष्टीकरण ।

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम 16(4) में यह व्यवस्था है कि कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की या उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को ब्याज पर या ऐसी विधि से धन उधार नहीं देगा जिस में धन या जिस रूप में प्रभार लिया या दिया जाये । परन्तु सरकारी कर्मचारी किसी सम्बन्धी या निजी मित्र को या उनसे बिना ब्याज के थोड़ी राशि उधार दे या ले सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार खाता खोल सकता है या अपने निजी सेवक को उसके वेतन की पेशगी दे सकता है । सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1966 में 'थोड़ी राशि' वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है । प्रत्येक मामले में उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना होगा । राशि थोड़ी है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय उधार लेने वाले व्यक्ति की हैसियत और आय तथा उस उधार को वापिस करने के लिए किये गये प्रस्ताव के ढंग के संदर्भ में किया जाना होगा । अतः आपसे अनुरोध है कि यह स्थिति आपके अधीन काम कर रहे सभी कर्मचारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु ला दी जाये ।

भवदीय,
हस्ता0
उपसचिव सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति :—

वित्तायुक्त राजस्व/हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव की सूचना तथा ऐसी ही कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।